कार्यालय अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् (ग्रा.वि.प्र.) भरतपुर.

क्रमांक : 5171 दिनांक : 1-12-17

निविदा सूचना

कार्यालय ,जिला परिषद् ग्रा0वि0 प्रकोष्ठ, (मनरेगा) जॉब कार्ड मुद्रण हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। अतः इच्छुक प्राधिकृत एवं प्रतिष्ठित फर्म निम्न विवरणानुसार इस कार्यालय में सील बन्द लिफाफे में निविदाऐं प्रस्तुत कर सकते हैः–

क0स0	अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र की लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि एव समय	निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि व समय	निविदा खोलने की तिथि व समय
1	950000/--	400/–	19000/--	22.12.2017 को दोपहर 12 बजे	22.12.2017 को दोपहर 2 बजे	22.12.2017 को सायं 3 बजे

निविदा के सीलबन्द लिफाफे के ऊपर जॉब कार्ड मुद्रण हेतु निविदा, जीएसटी न. एवं अमानत राशि का विवरण आवश्यक रूप से अंकित करें। निविदा फार्म, शर्तें एवं सामग्री का विशिष्टीकरण सहित विवरण जिले की बेवसाइट, bharatpur.rajasthan.gov.in एवं **sppp.rajasthan**.gov.in पर देखी जा सकती हैं। निविदा प्रपत्र मय शर्त एवं अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् (ग्रा.वि.प्र.) भरतपुर

क्रमांक 5172-80 दिनांक 1-12-17

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि निविदा सूचना एक राज्य स्तरीय एवं एक क्षेत्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का श्रम करें।
2. निजी सहायक श्रीमान जिला कलक्टर भरतपुर।
3. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् भरतपुर
4. परियोजना अधिकारी (वित्त एवं लेखा) कार्यालय हाजा
5. अधीक्षण अभियंता वाटरशैड कार्यालय हाजा
6. प्रभारी अधिकारी ग्रा0 वि0 वि0 कार्यालय हाजा
7. प्रभारी अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा कार्यालय हाजा
8. प्रभारी स्वच्छ भारत मिशन कार्यालय हाजा
9. उपनिदेशक DOIT भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि सीमित निविदा सूचना जिले की बेवसाइट पर अपलोड करावें।

अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् (ग्रा.वि.प्र.) भरतपुर

निविदा प्रपत्र

1– जॉब कार्ड मुद्रण कार्य **के लिये निविदा**

2– निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम तथा डाक का पूरा पता..

....

....

3– **सेवा में,**

अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.वि.प्र.)
जिला परिषद् भरतपुर

4– सन्दर्भ ....

5– निविदा शुल्क की रकम 400 रूपये जमा करा दी गई है।
पोस्टल / आर्डर / रसीद / ड्राफ्ट संख्या.................................... दिनांक.................

6– निविदा सूचना संख्या दिनांक जो **अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.वि.प्र.) जिला परिषद् भरतपुर** के द्वारा जारी की गई, में वर्णित समस्त शर्तो का पालन करने के लिये सहमत हैं तथा उक्त निविदा की सूचना की अन्य शर्ते जो संलग्न पृष्ठों में दी गई हैं, जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं, का भी पालन करने के लिये हम सहमत हैं।

7– सामग्री प्रदाय के लिये दरें एवं प्रदाय की जाने वाली मात्रा परिशिष्ठ पर अंकित है। जिस सामग्री का मेक या ब्रांड नेम आदि देना है तो मेक या ब्रांड नेम भी अंकित करें।

8– ऊपर वर्णित दरें 31.03.2018 तक वैध है। इससे आगे अवधि पारस्परिक सहमति से बढाई जा सकती है।

9– अमानत राशि हेतु अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.वि.प्र.) जिला परिषद् भरतपुर के पक्ष में .... रूपये का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर चैक / रसीद संख्या.................. दिनांक.............. संलग्न है।

10– जी.एस.टी. पंजीयन की प्रति इसके साथ प्रस्तुत है।

11–फर्म के पैन कार्ड की प्रति संलग्न है

12–निर्माता / डीलर का घोषणा पत्र भी संलग्न है।

संलग्न

1–

2–

3–

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर

कार्य का विवरण एव दर परिशिष्ठ

अनुमानित लागत 950000 रू.

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि एव समय	22.12.2017 दोपहर 12 बजे
निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	22.12.2017 दोपहर 2 बजे
निविदा खोलने की तिथि एवं समय	22.12.2017 साय 3 बजे

01	विवरण	दर प्रति हजार	
		अंको में	शब्दो में
	Layout A booklet of A5 size (portrait layout) with a minimum of 25 pages excluding the cover pages **2. a) Cover pages** Cover Pages (front and back) may be of 300 GSM glossy paper. The inner and outer portions of the front and back cover pages may be laminated, and multi-colour printing for these pages. Background colour of the cover pages on the front and back may be Yellow in colour and the text may be in Blue **2. b) Inner pages** The Job Card booklet include 25 pages of 90 GSM maplitho paper with single colour printing, and 85 percent brightness. The inner pages may be White in colour and the printed text may be in Black. **2. c) Binding** The booklet should be centrally stapled with 2 SS (Stainless Steel) pins.		

हस्ताक्षर

निविदादाता
मोबाईल न.

कार्यालय अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(ग्रा.वि.प्र.) जिला परिषद् भरतपुर
निविदा की शर्ते : जॉब कार्ड मुद्रण कार्य की शर्ते

निविदादाता को निविदा देते समय इन शर्तो को बहुत ध्यानपूर्वक पढना चाहिये क्योंकि इन शर्तो का निविदादाता द्वारा पालन करना आवश्यक होगा :–

1– निविदा सील बन्द लिफाफे में प्राप्त की जावेगी। प्रत्येक लिफाफे मुद्रण कार्य के लिये निविदा स्पष्ट एवं मोटे अक्षरों में लिखा जावे। लिफाफे के ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन न. एवं अमानत राशि के डीडी का पूर्ण विवरण अंकित किया जावें। उक्त दोनो सूचनाओं के अभाव मे लिफाफा नही खोला जावेगा।

2– निविदा के साथ अमानत राशि रूपये 19000/– (उन्नीस हजार रूपये मात्र) बैंकर चैक/ड्राफ्ट **अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.वि.प्र.) जिला परिषद् भरतपुर** के पक्ष में जमा करानी होगी। इस अमानत राशि का निम्न परिस्थितियो में समपहरण किया जा सकेगा।

1. जब निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात, किन्तु निविदा स्वीकृति से पूर्व निविदा वापिस लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता है।
4. जब निविदा दाता निर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार को सम्पादित नहीं करता है।
5. जब दर स्वीकृति के पश्चात निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता है।
6. जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय नहीं करता है।

3– उक्त निविदा की दरें 31.03.2018 तक विधि मान्य होंगी। जिन्हे परस्पर सहमति से बढ़ाया जा सकता है।

4– मुद्रण कार्य हेतु कागज एवं अन्य मापदण्ड निविदा के साथ सलग्न कार्य के विवरण प्रपत्र में संलग्न है। उनके अनुसार मुद्रण कार्य करना होगा।

5– निविदा स्वीकृत होने पर नियमानुसार एस.आर. 17 में एक करार पत्र 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर 48 घण्टे में निविदादाता द्वारा अनुबन्ध निष्पादित करना होगा जिसका खर्चा स्वयं निविदादाता को वहन करना होगा।

6– कय आदेश में दी गई समयाबधि के अन्दर आवश्यकतानुसार सामान की आपूर्ति विनिर्दिष्ट स्थान परं करनी होगी जिसके लिये पृथक से कोई परिवहन व्यय देय नहीं होगा। साथ ही निर्धारित समयावधि में सामग्री प्रदायगी नहीं हाने पर फर्म के विरूद्व निरोधात्मक कार्यवाही संपादित की जावेगी।

7– सामान की मात्रा में कमी/वृद्वि करने का अधिकार अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.वि.प्र.) जिला परिषद् भरतपुर में निहित होगा।

8– निर्धारित अवधि में सामान की आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में सुरक्षा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अन्य व्यवस्था किये जाने पर होने वाली हानि की वसूली निविदादाता से की जावेगी।

9– किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक ,एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.वि.प्र.) जिला परिषद् भरतपुर को होगा। निविदा संबंधी सर्वाधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला प्ररिषद् भरतपुर में सन्निहित है।

10– निविदा प्रपत्र में दरें स्याही अथवा टंकण में भरी जावे। पेन्सिल से भरी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

11– दरें शब्दों एवं अकों, दोनों में अंकित करें तथा दरों में परिवर्तन करने की दशा में निविदादाता दिनांक सहित हस्ताक्षर करें। किसी भी प्रकार की कटिंग/ओवरराइटिंग नहीं

12— निविदा में दी गई दरें समस्त करों सहित अंकित होनी चाहिये।

13— सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड प्रथम के भाग द्वितीय के नियम 68 में अभिकथित प्रारूप एस.आर.—16 को इस संविदा/निविदा का भाग समझा जावेगा, जो निविदादाता पर प्रभावी समझा जावेगा।

14— निविदादाता द्वारा निविदा के संग पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।

15— यदि निविदा सूचना में अथवा आदेशित मात्रा में, जैसी भी स्थिति हो दर्शित मात्रा से कम या अधिक के आदेश दे दिये जाते है, तब भी निविदाता अपेक्षित प्रदाय की पूर्ति हेतु आबद्ध होगा। निविदा में दी गई दरों और शर्तो पर पुनरादेश भी दिया जा सकेगा। यदि निविदादाता ऐसा करने में विफल रहता है तो अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.वि.प्र.) जिला परिषद् भरतपुर अथवा सक्षम प्राधिकारी को यह छूट होगी कि वह अतिशेष प्रदाय की व्यवस्था सीमित निविदा से या अन्यथा रूप से करें और उपगत अतिरिक्त मूल्य निविदादाता से बसूली योग्य होगा।

16— यदि अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.वि.प्र.) जिला परिषद् भरतपुर या सक्षम प्राधिकारी निविदत्त वस्तुओं में से किसी वस्तु के प्रदाय का आदेश नहीं करता है अथवा निविदा प्रारूप में वर्णित मात्रा से कम कय करता है तो निविदादाता मुआवजा हेतु किसी दावे का हकदार नहीं होगा।

17— निविदादाता को सामान की सुपुर्दगी का भुगतान सामान की संतोषजनक सुपुर्दगी उसकी विशिष्टियों तथा निविदा प्रपत्र के अनुरूप होने की संतुष्टि के बाद केता अधिकारी को उचित प्रारूप में बिल प्रस्तुत करने पर बाद कय कमेटी अनुमोदन भुगतान किया जावेगा। समस्त निविदाऐं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.वि.प्र.) जिला परिषद् भरतपुर के नाम से सम्बोधित की जावेगी। प्रस्तुत निविदाओं के किसी भी भाग को पूर्ण/आंशिक रूप से या सम्पूर्ण निविदा/किसी एक निविदा के किसी भी भाग को स्वीकार/अस्वीकार करने के समस्त अधिकार बिना कोई कारण बताये मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् भरतपुर के पास सुरक्षित रहेगे।

18— समस्त विधिक कार्यवाही हेतु संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार द्वारा भरतपुर जिला मुख्यालय स्थित सक्षम न्यायालय में ही प्रवृत की जावेगी।

19— फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना को लिखित रूप में अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.वि.प्र.) जिला परिषद् भरतपुर को अविलम्ब ससूचित किया जावेगा, तथा इस परिवर्तन से संविदा/निविदा के अधीन किसी भी दायित्व से पूर्ववर्ती फर्म एवं उनके पूर्ववर्ती सदस्यों को मुक्त नहीं किया जावेगा। सफल निविदादाता अपने कार्य/संविदा को अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य यक्ति/फर्म/एजेन्सी को न तो सौपेगा और न ही सबलैट करेगा।सफल निविदादाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा युक्तियुक्त समय पर सक्षम प्राधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि को सेवा/सामग्री/प्रदाय का निरीक्षण करायेगा एवं आवश्यक होने पर उचित निर्देश प्राप्त करेगा।

20— निरीक्षण/परीक्षण के दौरान सेवा/सामग्री/प्रदाय का जो हिस्सा निर्धारित स्तर का नहीं होगा उसे रदद करने का अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.वि.प्र.) जिला परिषद् भरतपुर को होगा।

21— संविदा के सम्बन्ध में नई फर्म में तब तक कोई नया/नये भागीदार स्वीकार नहीं किया जायेगा, जिसे अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.वि.प्र.) जिला परिषद् भरतपुर के समक्ष इस आशय का एक लिखित करार जमा न कर दें। अभिस्वीकृति हेतु सफल निविदादाता की रसीद को या किसी भागीदार की रसीद को बाद में उपर्युक्तानुसार स्वीकृति किया जावेगा और उससे से सभी आबद्ध होंगे और वह संविदा का किसी प्रयोजन हेतु पर्याप्त उन्मोचन होगा।

22— करोबारी/प्रचलित फर्म एवं इस क्षेत्र के अनुभव रखने वाली होनी चाहिये।

23— केता अधिकारी अति. जिला कार्यकम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.वि.प्र.) जिला परिषद् भरतपुरया उसका कोई अधिकृत प्रतिनिधि किसी भी समय जैसा कि केता अधिकारी उचित समझे,निर्माता/ आपूर्तिकता के परिसर का निर्माण प्रकिया के दौरान या उसके बाद निरीक्षण कर सकेगा तथा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री/उपकरण/मशीनो की गुणवत्ता व कार्यकुशलता आदि की जांच कर सकेगा एवं तदानुसार कार्य सम्पादन के संबंध में कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

24— सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

25— अति. जिला कार्यकम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.वि.प्र.) जिला परिषद् भरतपुर को किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने का अथवा बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा/उसके किसी भाग को रदद करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

26— सफल निविदादाता को निधारित अबधि में निविदा सूचना की अनुमानित राशि का 5 प्रतिशत प्रतिभूति निक्षेप राशि को अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.वि.प्र.) जिला परिषद् भरतपुर के नाम डी. डी./नगद के माध्यम से जमा करानी होगी जिसमें अमानत के रूप में जमा कराई गई राशि का समायोजन किया जा सकेगा। इस प्रतिभूति राशि का निम्नलिखित प्रकरणो में पूर्णतः या अंशतः समपहरण किया जा सकेगा।

1. जब संविदा के किसी निर्बन्ध या शर्तो को भंग किया जाता है।
2. जब निविदादाता संतोषप्रद रूप से निधारित अबधि में पूर्ण प्रदाय करने में विफल रहता है।
3. इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला प्ररिषद् भरतपुर का निर्णय अंन्तिम होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय फर्म/व्यक्ति का नाम व पता

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद् भरतपुर